

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to remove the condition of BPL category for granting pension to old age people and widows -laid.

श्री गणेश सिंह (सतना): वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें उन्हीं को लाभ मिल रहा है, जिनका नाम गरीबी रेखा में है। अक्सर देखा जाता है कि मध्यम परिवार के विशेषकर सर्विस क्लास के परिवारों में वृद्ध माता-पिता का कोई सहारा नहीं होता, उनमें अधिकांश लोगों को वृद्धाश्रमों में जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इसलिये आवश्यकता है कि बी०पी०एल० की अनिवार्यता वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन में हटा देना चाहिये, ताकि बुढ़ापे में उन्हें पेंशन का सहारा मिल सके।